केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/50166

दिनांक 14.03.2018

सेवा में,

श्री आकाश त्रिपाठी,
होली मैदान गली,
माडर्न एम.आर.आई. सेन्टर के पास,
बाढ़पुर, फर्रुखाबाद – 209625. उत्तर प्रदेश ।
मो0 – 7275108145.

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 12.03.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नानुसार हैः-

बिंदु सं. 1	सूचना अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सूचना अधिकार नियम, 2012 में सूचना प्राप्त करने हेतु "चरण" का कोई उल्लेख नहीं है, प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों/विभागों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतगर्त कार्यरत कार्यालयों/विभागों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं ।
बिंदु सं. 2	सूचना अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ हस्तलिखित या टंकित आवेदन दिया जा सकता है ।
बिंदु सं. 3	राज्य सूचना आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, इसलिए राज्य सूचना आयोगों के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी या सूचना प्रदान करना अधोहस्ताक्षरी के लिए अपेक्षित नहीं है, अतः कृपया संबंधित राज्य सूचना आयोग से सूचना प्राप्त करें ।
बिंदु सं. 4	केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों के निस्तारण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 5	हस्तलिखित या टंकित आवेदन पत्र के माध्यम से प्रथम अपील की जा सकती है । प्रथम अपील के साथ आर.टी.आई. आवेदन की छाया प्रति एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति (यदि सूचना प्रदान की गई हो) लगाना अपेक्षित है ।
बिंदु सं. 6	हस्तलिखित या टंकित आवेदन पत्र के माध्यम से द्वितीय अपील की जा सकती है । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना अपेक्षित है ।

C. I. C.
RECEIVED
15 MAR 2018
D. No............
Initials............

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
15 MAR 2018
D. No............
Initials............

----2/-

5) विस्तृत जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (जो आयोग की वेबसाईट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है) एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 जो आयोग की वेबसाईट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690